(341)

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./योजना/सायकिल/2018/251 भोपाल, दिनांक 29–10–2018

प्रति,

कलेक्टर तथा
जिला निर्वाचन अधिकारी(समस्त),
मध्यप्रदेश।

विषयः– स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय शालाओं में कक्षा 6 एवं 9वीं के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क सायकिल दिये जाने के संबंध में।

संदर्भः– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल का पत्र कमांक/दिनांक 24.10.2018

संदर्भित पत्र की छाया प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शासकीय शालाओं में कक्षा 6वीं एवं 9वीं के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क सायकिल वितरण योजना के संबंध में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि सायकिलों का वितरण मतदान दिवस के बाद किया जायेगा। स्पष्ट है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कय की गई सायकिलों का वितरण मतदान दिवस के बाद किया जायें। अतएव अपने स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगे, कि किसी भी स्थिति में सायकिलों का वितरण मतदान दिवस के पूर्व न हो और यदि किसी स्तर पर तत्संबंधी कोई शिकायत पाई जाती है तो उसकी कठोरता से जॉच कर यथोचित कार्यवाही की जायें।

स्कूल शिक्षा विभाग की निःशुल्क सायकिल वितरण योजना के संबंध में लघु उद्योग निगम के माध्यम से एक पारदर्शी प्रकिया के अधीन निःशुल्क सायकिल प्रदाय का आदेश संबंधित कंपनियों को दिनांक 31.08.2018 को दिया जा चुका है, तथा इसके अधीन संबंधित कंपनियों द्वारा निर्धारित मुख्यालयों पर सायकिलें 90 दिवस के अंदर एक निर्धारित समय सारिणी के अंतर्गत प्रदाय की जानी है। चूंकि यह कार्य आदेश निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के पूर्व ही जारी किया जा चुका है, तथा एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत कंपनी द्वारा सायकिलें प्रदाय की जानी है, ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित करें कि कंपनी द्वारा प्रदाय की जा रही सायकिलें सुरक्षित रूप से मतदान दिवस तक संग्रहित रखी जायें तथा किसी भी स्थिति में भी इनका वितरण नहीं किया जायें। शासकीय शालाओं की छात्र/छात्राओं को सायकिल वितरण के संबंध में आयोग के नवीनतम निर्देश तथा इस कार्यालय द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में कृपया स्टेडिंग कमेटी की बैठक में भी समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा उम्मीदवारों को भी स्थिति स्पष्ट कर दिया जायें, ताकि जिले में किसी भी प्रकार की गलत फहमी की संभावना न रहें। उपरोक्त स्थिति के संबंध में प्रचार–प्रसार भी स्थानीय समाचारपत्रों के माध्यम से आवश्यकतानुसार सुनिश्चित करेंगे।

sd/

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

पृ.क्र./योजना/सायकिल/2018/252 भोपाल, दिनांक 29–10–2018

प्रतिलिपि

1– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनके पत्र कमांक 14843 दि: 24.10.18 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

2– समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।

3– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

4– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ । निर्देशित किया जाता है कि तत्काल कलेक्टर तथा निर्वाचन अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करते हुए निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
Telephone& 2550488| 2550446| 2553305| 2551282 Fax& 0755&4938869|
E-Mail : chiefelectoralofficermp@gmail.com
website: www.ceomadhyapradesh.nic.in
Post Box No.1164

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शा
पंजी.क्र. 2765 2018
26-10-18

क्रमांक /पीए/ अपर मुनिप (ज)/2018/14843 भोपाल, दिनांक 24/10.2018

प्रति,

1. प्रमुख सचिव,
   म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,
   मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन,
   सहकारिता विभाग,
   मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन,
   आयुष विभाग,
   मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

विषयः—मध्यप्रदेश विधानसभा का सामान्य निर्वाचन 2018—स्क्रीनिंग कमेटी मे [illegible] द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमति दिये जाने बावत् ।

संदर्भः—भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क. 437/6 म0प्र0—वि.स./2018/(एमसीसी) [illegible] दिनांक 24.10.18

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन उपरांत आयोग के निर्णय की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है ।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

(लोकेश कुमार जाटव)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
म0प्र0 भोपाल

Secy, GI, DRSK

25/x

26/10 DPI

25/10

U.S-V

26/10/18

क्र0 सं0 437/8/म0प्र0–वि0स0/2018 (एम0सी0सी0 सन्दर्भ)/ दिनांक :– 24 अक्तूबर, 2018

(336)

प्रति,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्य प्रदेश,
भोपाल ।

विषयः– मध्य प्रदेश विधानसभा का सामान्य निर्वाचन, 2018 – स्क्रीनिंग कमेटी में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमति दिए जाने बावत् ।

महोदय,

मुझे, उपरोक्त विषयक, आपके दिनांक 20.10.2018 के पत्र संख्या 55/2018/ चार/एम सी सी निर्देश/14481, जिसके माध्यम से राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुशंसा के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव आयोग के अनुमोदनार्थ प्रेषित किये गये थे, को सन्दर्भित करते हुए उक्त प्रस्तावों पर आयोग का निर्णय निम्नानुसार आपको प्रेषित करने का निदेश हुआ है :–

क्र0 सं0	विभाग का नाम	प्रस्ताव का विस्तृत विवरण	आयोग का निर्णय
1.	स्कूल शिक्षा विभाग	शासकीय शालाओं में कक्षा छटवीं एवं नवमीं के छात्र छात्राओं को निशुल्क सायकिल दिये जाने बावत्।	सायकिलों का वितरण मतदान दिवस के बाद किया जाएगा ।
2.	स्कूल शिक्षा विभाग	सत्र 2018–19 में स्व–सहायता समूह के माध्यम से गणवेश (uniform) वितरण हेतु अनुमति प्राप्त करने बावत् ।	गणवेश का वितरण मतदान दिवस के बाद किया जाएगा ।
3.	आयुष	शैक्षणिक सत्र 2018–19 में आयुष स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग की विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु अनुमति प्राप्त करने बावत्।	काउंसलिंग हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई है ।
4.	सहकारिता विभाग	कमिश्नर, भोपाल संभाग को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल के "प्रशासक" का कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दिए जाने बावत् ।	मामले को अनुमति प्रदान कर दी गई है ।

भवदीय,

संतोष कुमार

(संतोष कुमार)
अवर सचिव

श्री रिजवी
24/x